

कक्षाशालीय निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान- बीकानेर ।

क्रमांक- शिविरा/प्राथ/सी/19404/243/95-96

दिनांक- 19/12/96

विशिक्षण शासन सचिव,
शिक्षा [ग्रुप-5] विभाग,
राजस्थान- जयपुर ।

विषय- श्री आदर्श विद्या मंदिर, माउण्ट आबू, सिरौही ब्लॉक
को उच्च प्राथमिक स्तर की स्थायी मान्यता सत्र 97-98
से प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

सहायक

महोदय,

उपरोक्त विद्यमानतर्गत निवेदन है कि अंग्रेजी माध्यम से संचालित
श्री आदर्श विद्या मंदिर, माउण्ट आबू, सिरौही को जिला शिक्षा अधिकारी
[प्राथमिक शिक्षा] सिरौही ने स्थायी मान्यता प्रदान करने की अभिलाषा की
है, जबकि संस्था को पूर्व में अंग्रेजी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की अस्थाई
मान्यता सत्र 1995-96 एवं 1996-97 दो वर्ष की प्राप्त है ।

संस्था एवं जिला शिक्षा अधिकारी [प्राथमिक शिक्षा] सिरौही
ने विद्यालय को मान्यता नियम 1993 के नियम 2 [क] में शिथिल प्रदान
करते हुए अस्थाई मान्यता प्रदान करने का लिखा है ।

मान्यता नियम 1993 के नियम 2 [क] में लिखा गया है कि
अस्थाई मान्यता जारी होने की तिथि से 3 वर्ष तक समाधानपद्धति से कार्य
करने पर ही अस्थाई मान्यता पात्र माना जावे । उक्त संस्था [आदर्श विद्या
मंदिर, माउण्ट आबू, सिरौही] को ~~के~~ दो वर्ष की समयावधि ही पूर्ण की
है ।

अतः ऐसी स्थिति में नवीन मान्यता नियम 1993 के नियम 2 [क]
में शिथिल आप द्वारा दिया जाना प्रस्तावित है ।

भवदीय,

Sd/-

[डा० डी०एन० म्या०]

संयुक्त निदेशक [प्राथमिक]

प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,

राजस्थान- बीकानेर ।

प्रतिलिपि- [1] जिला शिक्षा [प्राथमिक] सिरौही को उनके पत्रांक- प्राथ/सी/सा/सा
सामान्य-1/96-97/169 दिनांक- 23/11/96 के संदर्भ में
[2] प्रिन्सीपल, आदर्श विद्या मंदिर, माउण्ट आबू, सिरौही को
सूचनाार्थ ।

Adarsh Vidya Mandir, Mt. Abu
Board No. 276... Date 28/12/96

संयुक्त निदेशक [प्राथमिक]
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान- बीकानेर ।